प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल।

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० – 43/12–13

वीरा पासवान वनाम् रणविजय पासवान एवं अन्य

आदेश

आवेदक वीरा पासवान पिता स्व० सुखदेव पासवान ग्राम छतोई थाना कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम छतोई थाना कुर्था, वो जिला– अरवल में अवस्थित है, निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
322	838	3 डी०	उ० रोड द० पंचायत भवन पू० रामवृक्ष पासवान प० अरविन्द पासवान

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थिति हुए परन्तु उनके द्वारा कोई आपति पत्र दाखिल नही किया गया और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन आवेदक एवं उनके पत्नी तीलारी देवी को परवाना सं० 20, बंदोबस्ती वाद सं० 23/87–88 द्वारा प्राप्त है। बंदोबस्ती के बाद उक्त भूमि पर दखल दहानी कराई गई एवं वीरा पासवान पिता सुखदेव पासवान के नाम से डिमाण्ड कायम की गई है। आवेदक के पत्नी तिलारी देवी के नाम पर इन्दिरा आवास वर्ष 2011 भी इसी भूमि पर आवंटित की गई है। आवेदक जब इन्दिरा आवास निर्माण हेतु नींव खोदने गया तो विपक्षीगण के द्वारा इसका विरोध किया गया जिसके चलते यह वाद लाने की आवश्यकता हुई। उक्त वाद लाने के पूर्व अंचल अधिकारी कुर्था के कार्यालय में विविध वाद सं० 6/10–11 विपक्षियों के खिलाफ प्रारंभ हुआ जिसमें अंचल अमीन द्वारा नापी भी कराई गई जिसके तहत आवेदक के 3 डी० जमीन का सीमांकन कर पीलर गाड़ा गया। परन्तु विपक्षियों द्वारा सीमांकन उपरान्त गाड़े गये पीलर को कबाड़ कर फेंक दिया गया जिसके आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी मानिकपुर को विपक्षीगण के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज करने हेतु अनुशंसा की गई थी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बंदोबस्ती के अनुसार 3 डी० जमीन पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया । आवेदक वीरा पासवान एवं

उनकी पत्नी तिलारी देवी को बंदोबस्ती वाद सं० 23/87–88 के द्वारा खाता 322 खेसरा 838 रकवा 3 डी० ग्राम छतोई थाना 139 में बंदोबस्ती की गई जिसे कि अंचल अमीन द्वारा स्थल पर नापी कर चिन्हित कर दिया गया था । परन्तु विपक्षीगण के द्वारा उक्त चिन्ह को हटा दिया गया है। चूँकि आवेदक एक प्रश्रय प्राप्त रैयत है और प्रश्रय प्राप्त रैयत के हित का रक्षा करना सरकार का दायित्व है,अंचल अधिकारी कुर्था को निदेश दिया जाता है कि वे विवादित जमीन पर एक माह के बाद आवेदक को दखल कब्जा दिलाये । आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी कुर्था को भेजे ।

Seen
6/11/2012 Adv

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।